निदेशालय, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, हरियाणा
कौशल भवन, आई.पी.–2, सैक्टर–3, पंचकुला
Email- sdit.youthbranch@gmail.com

केवल ई-मेल के माध्यम से

सेवा में

जिला युवा समन्यवक अधिकारी एवं प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्बाला शहर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कैथल, हिसार, जींद, फतेहाबाद एट भोड़िया खेडा, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल, नुहं, गुरुग्राम, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर एट गुढ़ा, चरखी दादरी एट रावल्धी, सोनीपत तथा भिवानी ।

यादि क्रमांक: YA/District Youth Festival/2025/ 17608 दिनांक: 06-10-2025

विषय: **जिला युवा महोत्सव-2024 हेतु हिदायतों बारे।**

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक YA-1/District Youth Festivals/2025/17312 दिनांक 26.09.2025 के सन्दर्भ में।

उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से जिला युवा महोत्सव-2025 के आयोजन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गये थे जिसमें निम्नानुसार जारी दिशा निर्देशों को स्पष्ट किया जाता है:-

1. Folk Dance (Group) तथा Folk Song (Group) हरियाणवी संस्कृति पर ही आयोजित करवाएं जाए।
2. Folk Dance (Group) तथा Folk Song (Group) में अधिकतम 13 प्रतिभागी (साजिंदो सहित) शामिल हो सकते है। साजिंदों की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
3. यदि संभव हो तो महोत्सव में अतिरिक्त Stage का प्रबंध रखा जाए, ताकि किसी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या ज्यादा होने के कारण अन्य प्रतियोगिताए प्रभावित ना हो और सभी गतिविधियाँ समय पर पूरी करवाई जा सकें।
4. महोत्सव का आयोजन प्रतियोगिता समाप्त होने तक लगातार किया जाए (अधिकतम रात्रि 08:00 बजे तक)।
5. महोत्सव में पहले दिन शुभारम्भ के मुख्य अतिथि एवं दोपहर बाद के समय समापन समारोह के लिए मुख्य अतिथि तथा इसी प्रकार दुसरे दिन शुभारम्भ के मुख्य अतिथि एवं दोपहर बाद के समय समापन समारोह के लिए मुख्य अतिथि का चयन अलग-अलग किया जा सकता है।
6. महोत्सव में उसी जिले के निवासी को प्रतिभागी बनाए, जिस जिला का आवेदक का आधार कार्ड/PPP I'd है यदि कोई आवेदक किसी अन्य जिले में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का नियमित छात्र/छात्रा है तो ऐसे आवेदक उसी जिले में भी पंजीकरण कर सकते है, जिस जिले में वे पढ़ रहे है। इसकी सूचना DYCO छात्र/छात्रा के गृह जिले के DYCO को अपने स्तर पर देनी होगी ताकि ऐसा प्रतिभागी केवल एक ही जिले में भाग ले सकें।
7. महोत्सव के सफल आयोजन हेतु आप अपने स्तर पर अग्निशमक दल, स्थानीय पुलिस प्रशासन (सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु), स्वास्थ्य विभाग (प्राथमिक चिकित्सा हेतु) तथा बिजली विभाग (निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु) से पत्राचार करते हुए महोत्सव में इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
8. **जिला युवा महोत्सव-2025 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.10.2025 निर्धारित की जाती है।**

अत: आपको निर्देश दिए जाते है कि जिला युवा महोत्सव-2025 में उपरोक्त हिदायतों की भी पालना करना सुनिश्चित करें।

(राज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (युवा मामले)
कृते: महानिदेशक, कौशल विकास एवं
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा